

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या: 2492 बी० एस० एम० एफ० सी०, /

पटना

दिनांक:

स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्पुषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत चयन समिति से दिनांक 04.05.2013 को गया जिले में बैठक की गयी। बैठक के उपरान्त अरवल जिला के चयनित अल्पसंख्यकों के द्वारा समर्पित त्रुटिहीन कागजात के आधार पर कुल 07 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतान के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सम्बन्धित लाभुकों को भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है-


Sl. No	Appl_Name	Bank A/c No. of Applicant	Trade	Sanctioned Loan Amount	0.5% Proce-ssing Charge	Net Payable Amount
1.	Khalid Ansari, S/o-Late Fakhdin Ansari, Kodarmai, Kurtha, Kurtha, 14, Arwal-804423	A/c :-33162056341	Pan Shop	50000.00	250.00	49750.00
2.	Md Shahabuddin, S/o-Late Abdul Rahid, Kodarmai, Kurtha, Kurtha, Kodarmai, Arwal-	A/c :-32723008036	Poultry Farm	100000.00	500.00	99500.00
3.	Md Naim, S/o-Late Md Ali Raza Miyan, Kinjar, Karpi, Kinjar, Kinjar, Arwal-	A/c :-21925660971	Agarbatti Business	100000.00	500.00	99500.00
4.	Md Kaif, S/o-Late Md Shamsuddin Ansari, Gangapur, Kurtha, Kurtha, 1, Arwal-804421	A/c :-32329533064	Agarbatti Business	100000.00	500.00	99500.00
5.	Md Shamshad Akhtar, S/o-Late Abdul Rab, Kodarmai, Kurtha, Kurtha, Kodarmai, Arwal-804423	A/c :-32920348079	Poultry Farm	100000.00	500.00	99500.00
6.	Munna Ansari, S/o-Ahmad Ansari, Aminabad, Karpi, Karpi, Murari, Arwal-804419	A/c :-2105000100125370	Agarbatti Business	100000.00	500.00	99500.00

Neyaz Ahmad, S/o-Late Firoz Khan, Hridya Chak, Kaler, Kaler, 6, Arwal-	A/c :-32635109250	Timber	100000.00	500.00	99500.00
			6,50,000/-	3,250.00	6,46,750.00

जिन आवेदक/लाभार्थी के जाँच पत्रक/अभिलेख पर वांछित कागजात प्राप्त करने का उल्लेख है, वे सभी कागजात प्राप्त करने के बाद ही प्रभारी द्वारा चेक हस्तगत कराया जाएगा। यह चेक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अरवल के कार्यालय में उनकी उपस्थिति में वितरित कराया जायेगा।

स्वीकृत ऋण राशि से वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।


उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।


प्रबंध निदेशक

ज्ञापक :- 2492.....

दिनांक :- 11/10/14.....

प्रतिलिपि: जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अरवल/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा(कम्प्युटर सेल)/
लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


प्रबंध निदेशक

